प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनतीस' [7/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 3520]

परिशिष्ट - अ

1. बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का "विशेष पैकेज, 2014"

मध्यप्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी.आय.एफ.आर.) संदर्भित बीमार वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रबंधन परिवर्तन के द्वारा अधिग्रहित अथवा क्रय कर पुनर्वासित करने, बीआईएफआर द्वारा परिसमापन मत के उपरांत लिक्वीडेशन में लंबित उद्योगों को ऑफिशियल लिक्विडेटर से क्रय कर, सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीज़ इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत किसी वित्तीय संस्था से क्रय कर तथा राज्य शासन के निगमों एमपी स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन या मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित वृहद/मध्यम उद्योग इकाईयों को क्रय/अधिग्रहित कर पुनर्वासित करने पर पर **"विशेष पैकेज"** के अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जा सकेंगी :-

1.1 गैर वित्तीय :-

1.1.1 प्रबंधन एवं श्रमिकों के मध्य होने वाले विवादों को निपटाने में शासन का श्रम विभाग हर संभव मदद करेगा, जिससे उद्योग का संचालन सुचारु रुप से चले।

1.1.2 शासन के विभिन्न विभागों से आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सिंगल विण्डो प्रणाली के तहत उद्योग विभाग द्वारा यथोचित सहायता दी जावेगी।

1.1.3 आवश्यकतानुसार पुनर्वासित इकाई को सहायता उपक्रम घोषित किया जा सकेगा।

1.2 वित्तीय :-

1.2.1 अधिग्रहण/क्रय की जाने वाली इकाई को पूर्व में स्वीकृत, वाणिज्यिक कर (विक्रय कर एवं क्रय कर), प्रवेश कर की छूट/आस्थगन की सुविधा एवं मूल्य संवर्धित कर (VAT) तथा केन्द्रीय विक्रय कर की प्रतिपूर्ति की सुविधा की अवधि यदि शेष हो तो, अधिग्रहण दिनांक से ऐसी शेष अवधि के लिये उक्त सुविधा उपलब्ध रहेगी। उपलब्ध कराई गई सहायता प्लांट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की आनुपातिक सीमा तक देय होगी।

1.2.2 यदि अधिग्रहित/क्रय पूर्व इकाई पर वाणिज्यिक कर (विक्रय कर एवं क्रय कर), प्रवेश कर, वैट का देय बकाया हो तो अधिग्रहण दिनांक से 3 माह में वास्तविक वाणिज्यिक कर/वैट/प्रवेश कर अर्थात् असेस्ड टैक्स राशि, एक मुश्त जमा कराने पर, ब्याज/शास्ति को पूर्णतः माफ किया जायेगा अन्यथा बकाया वाणिज्यिक कर/वैट की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को अधिग्रहण दिनांक से 6 अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जायेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलंब होता है तो उसपर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. की दर से ब्याज देना होगा।

"बकाया वाणिज्यिक कर/वैट की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को किश्तों में

भुगतान की सुविधा, इकाई द्वारा देय किश्तों की राशि पोस्ट डेटेड चेक के रूप में जमा करने तथा पब्लिक लि. कम्पनी के मामले में कार्पोरेट गारंटी एवं भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों की व्यक्तिगत गारंटी देने पर उलपब्ध कराई जायेगी। यह पोस्ट डेटेड चेक कम्पनी के प्रबंध संचालक अथवा मेनेजिंग पार्टनर (जो भी लागू हो) द्वारा ही हस्ताक्षरित होने चाहिये।

ब्याज/शास्ति को पूर्णतः माफ किये जाने की सुविधा का लाभ, संबंधित इकाई को एक ही बार प्राप्त होगा।

1.2.3 यदि पुनर्वासित इकाई के प्लांट एवं मशीनरी में अधिग्रहणकर्ता द्वारा किया गया नवीन पूंजी निवेश पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक होता है तो उसे नवीन इकाई मान्य कर, पात्रतानुसार नवीन इकाई को दी जाने वाली सुविधाएं दी जाएंगी।

स्पष्टीकरण :

(अ) प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश की गणना पुनर्वासित इकाई की प्लांट एवं मशीनरी का वह ह्रासित मूल्य (Depreciated Value) लिया जाएगा, जो इकाई को बीआईएफआर द्वारा बीमार घोषित किये जाने के दिनांक को था।

(ब) इकाई अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्वासित करने पर उसमें निहित प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश की गणना के लिये क्रय मूल्य को मान्य किया जाएगा।

1.2.4 बीमार/बन्द औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासित करने पर विद्युत अधिनियम, 2003 एवं संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी अंतर्गत सुविधाएं देने के संबंध में लागू नीति अनुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

1.2.5 अधिग्रहण/क्रय दिनांक तक इकाई पर स्थानीय निकायों के बकाया, जैसे जल कर, चुंगी कर, सम्पत्ति कर इत्यादि के वास्तविक देयक का यदि एक मुश्त भुगतान अधिग्रहण दिनांक से तीन माह में कर दिया जाता है, तो उस पर लगाई गई सम्पूर्ण ब्याज/शास्ति की राशि माफ कर दी जावेगी, अन्यथा बकाया वास्तविक देयक की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को अधिग्रहण/क्रय दिनांक से अधिकतम छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (Prime Lending Rate) की दर से ब्याज देना होगा।

1.2.6 अधिग्रहित/क्रय इकाई औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के विकास केन्द्र में स्थित हो तो अधिग्रहणकर्ता द्वारा इकाई पर लंबित भू-भाटक, संधारण प्रभार तथा जल प्रदाय शुल्क की वास्तविक देयक का एक मुश्त भुगतान तीन माह की अवधि में करने पर ब्याज/शास्ति से पूर्णतः मुक्ति दी जावेगी, अन्यथा बकाया वास्तविक देयक की राशि ब्याज/शास्ति सहित को अधिग्रहण दिनांक से अधिकतम छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (Prime Lending Rate) की दर से ब्याज देना होगा।

1.2.7 अधिग्रहण/क्रय करने से भूमि/भवन एवं अन्य आस्तियों के हस्तान्तरण पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी से पूर्णतः छूट दी जावेगी।

1.2.8 अधिग्रहणकर्ता द्वारा नवीन अंशपूंजी के रूप में रू. 40 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश प्लांट एवं मशीनरी में किया जाता है तो इकाई को मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाई का दर्जा प्रदान किया जावेगा एवं अधिग्रहणकर्ता परियोजना के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज हेतु निवेश संवर्धन हेतु मंत्रि-परिषद समिति (CCIP) के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

1.2.9 इस विशेष पैकेज के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ उन्हीं प्रकरणों में देने पर विचार किया जायेगा, जिनमें उद्योगों का अधिग्रहण/क्रय पूर्ण इकाई के रूप में किया गया हो।

1.2.10 अधिग्रहीत/खरीदी गई इकाई के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में या मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के ग्रोथ सेन्टर में स्थित होने पर अधिग्रहणकर्ता को भूमि हस्तांतरण शुल्क से छूट दी जाएगी।

1.3 **बीआईएफआर अपील प्रक्रिया :** बीआईएफआर द्वारा निर्णित सभी प्रकरणों को सामान्यतः स्वीकार किया जाएगा। एएआईएफआर में अपील केवल उच्च स्तरीय समिति (HLC) के अनुमोदन के बाद की जा सकेगी। एएआईएफआर ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध दूसरे स्तर की अपील निवेश संवर्धन हेतु मंत्रि-परिषद समिति (CCIP) से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी।

उक्त सुविधाओं को मात्र किसी इकाई का अधिग्रहण या क्रय करने पर स्वयं लागू नहीं माना जाएगा। इन सुविधाओं में से सुविधा विशेष या सभी सुविधाओं को अधिकतम सीमा तक स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर पॉलिसी पैकेज, 2014 के अंतर्गत, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति, प्रकरण विशेष में स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होगी।

बीमार/बन्द इकाईयों के लिए प्रावधानित सुविधा/सहायता, परिशिष्ट-IV अनुसार सूची में उल्लेखित अपात्र उद्योगों के लिए लागू नहीं होगी।
